कार्यालय नगर पंचायत बिधूना औरैया

पत्र सं0–689/अल्प0 ई0नि0आ0सू0 (2020–21)/न0प0बिधूना दिनांकः–06 नवम्बर, 2020

–:अल्पकालीन ई–निविदा आमंत्रण सूचनाः–

समस्त ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन योजना की संस्तुतियों के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि व राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्राप्त धनराशि में से वेतन वितरण के उपरान्त अवशेष धनराशि एंव निकाय फण्ड से नगर पंचायत बिधूना शासन द्वारा निर्धारित मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी सेन्टर (एम0आर0एफ0) का निर्माण कार्य कराना चाहती है। जिसके लिये निकाय द्वारा ई0 निविदा–प्रणाली के अर्न्तगत शासनादेश संख्या–3890/नौ–5–19–149 सा/2019 न0 वि0 अनु0–5 लखनऊ दिनांक 20 सितम्बर 2019 के अर्न्तगत आने वाले समस्त ठेकेदारों हेतु दिनांक **20.11.2020** को 12 बजे अपरान्ह तक आमन्त्रित की जाती है, जो उसी दिन अपरान्ह 04:00 बजे निविदादाताओं की उपस्थिति में उनके समक्ष अधोहस्ताक्षरी द्वारा खोली जायेगी। प्राप्त निविदाएं यदि उक्त निर्धारित तिथि को अवकाश/अपरिहार्य कारणो से नहीं खुल पाती है, तो कमशः अगले कार्य दिवसो में खोली जायेंगी। प्राप्त निविदाओं को स्वीकृत/अस्वीकृत करने के समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगें। निविदा प्रपत्र वेवसाइट e-tender.up.nic.in पर प्राप्त किये जा सकते है। ई–निविदा की समस्त कार्यवाही उक्त बेबसाइट के माध्यम से ही पूर्ण की जायेगी। निर्धारित निविदा मूल्य एंव 10 प्रतिशत धरोहर राशि नगर पंचायत बिधूना के खाता संख्या–11025369127 आई0एफ0एस0सी0 कोड–SBIN0001094 भारतीय स्टेट बैंक बिधूना औरैया में RTGS/NEFT किसी अन्य उचित माध्यम से जमा करना होगा। कार्य से सम्बन्धित आगणन व अन्य शर्ते किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थिति होकर देखी व पढी जा सकती है। निविदा के साथ अन्य शर्तो के स्वीकारोक्ति के हस्ताक्षर युक्त प्रारूप संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदाओं से सम्बन्धित जानकारी जनपद औरैया की बेबसाइट www.auraiya.up.nic से भी प्राप्त की जा सकती है।

क0 सं0	निर्माण कार्य का नाम	आगणन धनराशि	जमानत धनराशि 10 प्रतिशत	निविदा धनराशि	निविदा मूल्य पर जी0एस0 टी0	निविदा मूल्य की कुल धनराशि	कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित अवधि।
1	स्वच्छ भारत मिशन योजना के अर्न्तगत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंन्ट हेतु ग्राम पंचायत हरदू में शासन द्वारा प्राप्त भूमि पर मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी (एम0आर0एफ0 सेन्टर) का निर्माण कार्य।	40,02000.00	4,01000.00	4000.00	720.00	4720.00	03 माह

(निषाद मधुरमय)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पंचायत बिधूना
औरैया।

(अमित कुमार)
अध्यक्ष
नगर पंचायत बिधूना
औरैया।

पत्र संख्या एंव दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः—

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद औरैया की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी स्था0 निकाय औरैया की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, औरैया को जनपद औरैया की बेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

अधिशाषी अधिकारी	अध्यक्ष
नगर पंचायत बिधूना	नगर पंचायत बिधूना
औरैया।	औरैया।

कार्यालय नगर पचांयत बिधूना, औरैया

—:शर्ते:—

1. यह कि निर्धारित तिथि में अन्य कारण से कार्यालय बन्द रहने की स्थिति में निविदायें अगले कार्य दिवस में निर्धारित स्थान व समय पर खोली जायेंगी।
2. यह कि कार्य करने का समय स्वीकृत कार्यादेश से लागू होगा।
3. यह कि निविदा मूल्य एंव जमानत धनराशि खाता संख्या–11025369127 आई0एफ0एस0सी0 कोड–SBIN0001094 भारतीय स्टेट बैंक बिधूना औरैया में ऑनलाइन जमा करके जमा की रसीद, चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
4. निविदा स्वीकृत के उपरान्त ठेकेदार को 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा।
5. ठेकेदार को कार्यादेश के दिनांक से निहित समय में कार्य पूर्ण करना होगा। यदि समय से कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो रू 50.00 प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड के रुप में जमा करना होगा, तथा उस ठेकेदार का नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।
6. अपूर्ण/अधूरी/सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं होगी।
7. जो निविदादाता निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित अर्नेस्टमनी अभिलेख नहीं लगायेगा उस दशा में उसकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी ठेकेदार को प्रत्येक कार्य की अलग अलग जमानत धनराशि जमा करनी होगी। किसी भी सपोर्ट में फोटो कॉपी मान्य नही होगी। न ही जमानत धनराशि को किसी भी कार्य में समायोजन किया जायेगा। यदि ठेकेदार द्वारा ऐसा किया जाता है तो उस ठेकेदार की अन्य कार्य में लगी जमानत धनराशि जब्त करते हुए उसकी निवदा निरस्त कर दी जायेगी।
8. यह कि फर्म/ठेकेदार द्वारा निविदा से सम्बन्धि समस्त अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध कराने होगें।
9. निविदा प्रपत्र में प्रतिशत उच्च/निम्न को अंकों एवं शब्दों में लिखना आवश्यक है।
10. निविदा शर्तों के विरुद्ध निविदा डालने वाले ठेकेदार की जमानत धनराशि जब्त करते हुये काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
11. सभी ठेकेदारों को अपने–अपने कार्य स्थल के कार्य से पूर्व एवं कार्य के मध्य तथा कार्य पूर्ण होने के बाद की फाटोग्राफी स्वंय कराना अनिवार्य होगा, कार्य स्थल की फोटोग्राफी कार्यालय में एक–एक प्रति जमा करने के उपरान्त तथा सभी वैधानिक औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा।
12. निविदा दरों में ओवर राइटिंग/कटिंग होने पर निविदा अवैध मानी जायेगी।
13. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
14. किसी भी कार्य की मात्रा घटायी/बढाई जा सकती है।
15. ठेकेदार को शासन/निदेशक के आदेशो/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
16. यह कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई जमानत धनराशि नियमानुसार अवमुक्त की जायेगी।
17. सभी उपकरणो/जन–धन की सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी, नगर पंचायत की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
18. उक्त कार्य अति आवश्यक होने के कारण निविदा कार्यवाही पूर्ण होते ही ठेकेदार को तत्काल प्रभाव से कार्य प्रारम्भ करना होगा।
19. नगर विकास अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या–715/नौ–5–2018–120 बजट/2013 दिनांक 17 मार्च 2018 के कम में नये/क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण कार्य स्थलीय कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत इंटरलॉकिंग ब्रिक्स व सीमेण्ट कंक्रीट, सी0सी0 के कराये जाने तथा योजना अर्न्तगत निर्मित सडको/मार्गो के निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात पॉच वर्ष तक अनुरक्षण/रखरखाब की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की तय की गई है। तथा परियोजना लागत की पॉच प्रतिशत धनराशि परर्फोमेन्स गारण्टी के रूप में पॉच वर्ष रोकने के उपरान्त सडको के समुचित रख रखाव होने की दशा में भुगतान किया जायेगा।

20. समस्त कार्यो पर जो भी जी0एस0टी0 नियमानुसार देय होगी, उसमें से 02 प्रतिशत जी0एस0टी0 कार्यालय द्वारा जमा की जायेगी, तथा अवशेष जी0एस0टी0 सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म के द्वारा जमा की जायेगी।
21. शासनादेश संख्या–0145/नौ–9–2013 दिनांक 10.12.2013 के द्वारा भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अर्न्तगत ठेकेदार/फर्म का पंजीयन एंव श्रमिको का पंजीयन श्रम विभाग में कराये जाने अनिवार्य होगें।
22. प्रत्येक निविदादाता निविदा देने से पूर्व उक्त सूची में अंकित निर्माण कार्य के स्थल का भली भॉति निरीक्षण अवश्य कर लें।
23. निविदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्यायायिक क्षेत्राधिकार औरैया होगा।
24. ठेकेदार/फर्म को शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशो का अनुपालन करना होगा।
25. निविदा स्वीकृत के उपरान्त यदि ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है या कार्य करने से इंकार किया जाता है तो सम्बन्धित निविदा निरस्त करते हुये सम्बन्धित ठेकेदार की जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
26. यह कि समस्त ठेकेदारों/फर्मो को शासनादेश संख्या–3890/नौ–5–19–149 सा/2019 न0 वि0 अनु0–05 लखनऊ दिनांक 20 सितम्बर 2019 का अनुपालन अनिवार्य होगा।
27. यह कि निविदा प्राप्तकर्ता फर्म को कार्य आरम्भ करने से पूर्व स्थल पर मानक साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
28. यह कि समस्त निविदादाताओं को 03 वर्ष का वार्षिक टर्नओवर संलग्न करना होगा।
29. यह कि समस्त निविदादाताओं को बैंक केडिट का प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
30. यह कि समस्त निविदादाताओं को आवासीय भवन निर्माण कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
31. सम्बन्धित ठेकेदार के आपूर्तित उपखनिजों की रायल्टी प्रपत्र ई0एम0एम0–11 कार्यालय में जमा करना होगा और रायल्टी प्रपत्र ई0एम0एम0–11 का सत्यापन खनन अनुभाग से होने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।
32. यह कि समस्त निविदादाताओं को 03 वर्ष का आई0टी0आर0 (Income Tax Return) निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
33. यह कि बिना कारण बतायें निविदा प्रकिया को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पंचायत बिधूना
औरैया

अध्यक्ष
नगर पंचायत बिधूना
औरैया

फर्म/ठेकेदार के हस्ताक्षरः–

फर्म/ठेकेदार का नाम/पताः–

सील मोहर सहितः–